Details of Sanctioned Post

Year of Sanction	No. of Posts
1980	13
1987	05
1988	01
1989	01
1991	02
1997	01
1998	04
2015	19
Total	**46**

Department-wise Details of Sanctioned Posts

Department	No. of Sanctioned Posts
Principal	01
Department of Hindi	03
Department of English	04
Department of Sanskrit	02
Department of Urdu	02
Department of Sociology	04
Department of Education	04
Department of Philosophy	03
Department of Economics	03
Department of Ancient History	04
Department of Medieval History	02
Department of Music (Vocal)	02
Department of Music (Instrumental)	02
Department of Painting	01
Department of Chemistry	03
Department of Botany	03
Department of Zoology	03
Total	**46**

शासनादेश सं0 417/15-80-(11)-4ए(1)/79 दिनांक 28 मार्च 1980 से अनुदानित महाविद्यालय में शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) द्वारा वेतन संदाय कराये जाने हेतु अनुमोदित शिक्षक / गैर शिक्षक कर्मचारियों के पदों का विवरण -
महाविद्यालय का नाम - एस0 एस0 खन्ना बालिका महाविद्यालय, इलाहाबाद।

अध्यापक एवं गैर शिक्षक कर्मचारियों के नाम	पद का नाम	नियुक्ति तिथि	विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त अनुमोदन की तिथि	अगली वेतन वृद्धि की तिथि		वेतनमान	दिसम्बर 1979 का देय मूल वेतन
1	2	3	4	5	6	7	8
शिक्षक वर्ग							
1- रिक्त	प्राचार्य	-	-	-	-	1200-1900	-
2- डा0 (श्रीमती) (आशा) ...	प्रवक्ता, हिन्दी	25.8.75	13.9.78	13.9.80		700-1600	740/-
3- डा0 (श्रीमती) सुमन ...	" संस्कृत	25.8.75	18.9.78	18.9.80		700-1600	740/-
4- डा0 (श्रीमती) भारती राज	" प्राचीन इतिहास	25.8.75	13.12.78	13.12.79		700-1600	700/-
5- ... शाण्डागा शुक्ला	" गीत संगीत	1.2.76	13.12.78	13.12.79		700-1600	700/-
6- श्रीमती शैलेन्द्र ...	" गृहविज्ञान	1.2.79	13.12.78	1.2.80		700-1600	700/-
7- ...0 कल्पना जैन	" दर्शन शास्त्र	1.12.77	13.12.78	13.12.79		700-1600	700/-
8- डा0 (श्रीमती) इन्दु वर्मा	" इतिहास	1.8.77	18.8.79	18.8.80		700-1600	700/-
9- कु0 रीता ...	" शिक्षाशास्त्र	1.1.79	18.8.79	1.8.80		700-1600	700
10- कु0 ...	" अर्थशास्त्र	1.2.79	27.2.80	27.2.81		700-1600	700/-
11- कु0 ...	" समाजशास्त्र	14.9.79	27.2.80	27.2.81		700-1600	700/-
12- कु0 नीरजा मेहरोत्रा	" अंग्रेजी	1.10.79	27.2.80	27.2.81		700-1600	700/-
13- रिक्त	" उर्दू	---	-	- - -	- - -	700-1600	-
तृतीय श्रेणी कर्मचारी							
- रिक्त	पुस्तकालयाध्यक्ष	5-------	-----	-----		350-675	-
2- श्री चन्द्र प्रताप सिंह	प्रधान लिपिक / लेखाकार	15.7.75	- -	15.7.80		280-460	312/
3- रिक्त	नैत्यिक लिपिक	-	-	-	-	- -	200-320	-
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी							
1- ... लिपि ... दफ्तरी		28.7.75		28.7.80		170-225	176/-
2- ... देवी	रसोइया	28.7.75		28.7.80		165-215	173/-
3- रिक्त	जमादार चपरासी	-	-	-	-	170-225	-
4- रिक्त	चपरासी	- -	-	-	-	165-215	-
5- रिक्त	पुस्तकालय चपरासी	-	-		-	165-215	-
6- रिक्त	चौकीदार कम माली	-	-		-	165-215	-
7- रिक्त	फर्राश कम पानी वाला	-	-		-	165-215	-
- रिक्त	फर्राश	-	..		-	165-215	-

ह0/ अपठनीय
(... ...)

Photo Copy
Attested
Asha ... 28.4.99
Principal
S. S. Khanna Girls De[gree Co]llege
Allahabad
... 28.4.99

(डा0 ... मिश्र)
सहायक उप शिक्षा निदेशक
कृते शिक्षा निदेशक
(उच्च शिक्षा)

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक (उ0शि0) (उ0प्र0),
शिक्षा डिग्री अर्थ अनुभाग,
इलाहाबाद।

सेवा में,

प्रबन्धक/सचिव/प्राधिकृत नियंत्रक,
-------एस. एस. खन्ना महिला--महाविद्यालय,
-----------इलाहाबाद------

पत्रांक डिग्री अर्थ/ 10708 /1987 दिनांक 7/11/87

विषय:- विषयों के अतिरिक्त पदों का सृजन।

महोदय,

उपयुक्त विषयक महाविद्यालय के पत्रांक.........दिनांक ......17/10/87........द्वारा प्राप्तआवेदन पत्र पर विचारोपरान्त आपके महाविद्यालयों के लिए शिक्षकों के निम्नांकित पदों के सृजन की स्वीकृति उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों अधिनियम 1973 की धारा 60-क (6) (ख) के अन्तर्गत प्रदान की जाती है:-

क्र0सं0	प्रवक्ता पद के विषय का नाम	पद संख्या	वेतनक्रम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
(1)	प्रवक्ता हिन्दी	एक पद	700-1600	
(2)	प्रवक्ता संस्कृत	एक पद	700-1600	
(3)	प्रवक्ता प्राचीन इतिहास	एक पद	700-1600	
(4)	प्रवक्ता अर्थशास्त्र	एक पद	700-1600	
(5)	प्रवक्ता समाजशास्त्र	एक पद	700-1600	

2. निम्नांकित नये पदों के सृजन की मांग को वेतन संदाय हेतु स्वीकार किया जाना सम्भव नहीं है:-

3. इन पदों का सृजन महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं तथा घोषणाओं की सत्यता पर विश्वास करते हुए किया जा रहा है। यदि भविष्य में उक्त सूचनाओं या घोषणाओं का तथ्य आधार नहीं पाया गया तो इन पदों पर वेतन संदाय के परिणाम स्वरूप शासन को जो अतिरिक्त व्यय भार वहन करना पड़ेगा उसको पूरा करने का दायित्व प्रबन्धतंत्र का होगा और विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 60 (ड.) (2) के अन्तर्गत उसकी वसूली की जायेगी।

4. उक्त पद इस आधार पर सृजित किये गये हैं कि जिन विषयों से वे संबंधित हैं उनमें स्वीकृति की अवधि के लिए विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त हो चुकी है यदि किसी भी कारणवश तत्संबंधी अस्थायी सम्बद्धता का विस्तरण न हुआ हो तब वह पद भरा न जाय। अस्थायी सम्बद्धता प्राप्त विषयों में कृपया नियुक्ति परिवीक्षण पर उस समय तक न की जाय जब तक कि सम्बद्धता स्थायी न

.....2

हो जाये।

5. फिलहाल इन पदों को स्वीकृति 30 जून, 1988 तक के लिए प्रदान की जाती है। 30 जून, 1988 से आगे की अवधि के लिए इनके संततीकरण के निमित्त आप कृपया 31 मार्च, 1988 की संबंधित विषय की वास्तविक छात्र संख्या, विषय में वास्तव में कार्यरत शिक्षकों/डिमान्स्ट्रेटर्स की संख्या तथा पद के संततीकरण के औचित्य के संबंध में संबंधित विषय के समस्त शिक्षकों के साप्ताहिक वर्कलोड का आगणन निर्धारित प्रपत्र "स" में भेजें। यदि यह सूचना 30 मार्च, 1988 तक स्टाफ स्टेटमेन्ट के साथ प्राप्त नहीं होती है तो सृजित पदों का 30.6.88 से आगे संततीकरण करने पर विचार करना सम्भव नहीं होगा। जब तक निदेशालय द्वारा पद स्थायी न कर दिया जाये तब तक कृपया पदधारक को स्थायी न किया जाये।

6. इन पदों पर विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा के नियमों के अन्तर्गत कुलपति का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही नियुक्ति की जायेगी।

7. इन पदों के पदधारकों के वेतन संदाय के लिए स्वीकृत धनराशि का विकलन निम्नलिखित आय व्ययक लेखा शीर्षक के अन्तर्गत किया जायेगा।

मैदानी क्षेत्र:- "2202-सामान्य शिक्षा-03-विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा-104-गैर सरकारी कालेजों और संस्थाओं को सहायता-04-स्नातक तथा स्नातकोत्तर महाविद्यालयों को नये संकायों एवं नये विषयों को आरम्भ करने हेतु सहायक अनुदान-14-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता"

भवदीय

(वीरेन्द्र सिंह)
सहायक शिक्षा निदेशक(1)
कृते शिक्षा निदेशक(उ0शि0/उ0प्र0)।

पृष्ठांकन संख्या डिग्री अर्थ/ /- उसी तिथि को।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नांकित को प्रेषित:-

1. कुलसचिव.....विश्वविद्यालय.....
2. जिला विद्यालय निरीक्षक.....को इस अभ्युक्ति के साथ कि उक्त पद/पदों पर नियमानुसार नियुक्त शिक्षकों का वेतन संदाय कराने से पूर्व उनकी नियुक्ति के निमित्त विषय की सम्बद्धता कुलपति द्वारा प्रदत्त अनुमोदन आदेश तथा कार्यभार ग्रहण करने संबंधी प्रमाण पत्र का परीक्षण कर लिया जाय।
3. मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक.....
4. बजट सहायक अर्थ अनुभाग।
5. सचिव, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, 9/18 न्याय मार्ग, इलाहाबाद
6. ~~क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर/लखनऊ।~~

(वीरेन्द्र सिंह)
सहायक शिक्षा निदेशक(1)
कृते शिक्षा निदेशक(उ0शि0/उ0प्र0)।

हरजोत/-

(8)

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) उ०प्र०,
शिक्षा डिग्री अर्थ अनुभाग,
इलाहाबाद।

सेवा में,

प्रबन्धक/सचिव/प्राधिकृत नियंत्रक,
एस०एस० खन्ना महिला महाविद्यालय,
इलाहाबाद।

पत्रांक डिग्री अर्थ/ 16039 /1987 दिनांक 21/1/88

विषय:- विषयों के अतिरिक्त पदों का सृजन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्रांक 1108/1/87-88 ....दिनांक ..5-12-87.....द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र पर विचारोपरान्त आपके महाविद्यालयों के लिए शिक्षकों के निम्नांकित पदों के सृजन की स्वीकृति उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 60-क (6) (ख) के अन्तर्गत प्रदान की जाती है:-

क्र०सं०	प्रवक्ता पद के विषय का नाम	पद संख्या	वेतनक्रम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
(1)	प्रवक्ता शिक्षाशास्त्र	एक पद	2200- 4000	

(2)
(3) इस कार्यालय के पत्रांक डिग्री अर्थ/10714/87, दिनांक 7-11-87 द्वारा
(4) सृजित शिक्षाशास्त्र के अंशकालिक प्रवक्ता पद को एतद्द्वारा समाप्त करते हुए पूर्णकालिक के रूप में पद का सृजन किया जाता है।

2. निम्नांकित नये पदों के सृजन की मांग को वेतन भुगतान हेतु स्वीकार किया जाना सम्भव नहीं है:-

3. इन पदों का सृजन महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं तथा घोषणाओं की सत्यता पर विश्वास करते हुए किया जा रहा है। यदि भविष्य में उक्त सूचनाओं या घोषणाओं का तथ्य आधार नहीं पाया गया तो इन पदों पर वेतन भुगतान के परिणाम स्वरूप शासन को जो अतिरिक्त व्यय भार वहन करना पड़ेगा उसको पूरा करने का दायित्व प्रबन्धतंत्र का होगा और विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 60 (ड.) (2) के अन्तर्गत उसकी वसूली की जायेगी।

4. उक्त पद इस आधार पर सृजित किये गये हैं कि जिन विषयों में ये संबंधित हैं उनमें स्वीकृति की अवधि के लिए विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त हो चुकी है यदि किसी भी कारणवश तत्संबंधी अस्थायी सम्बद्धता का विस्तारण न हुआ हो तब वह पद भरा न जाय। अस्थायी सम्बद्धता प्राप्त विषयों में कृपया नियुक्ति परिवीक्षण पर उस समय तक न की जाय जब तक कि सम्बद्धता स्थायी न हो जाये।

5. [illegible] इन पदों की [illegible] 30 जून, 1990 तक के लिए प्रदान की [illegible] जून, 1988 से [illegible] के लिए [illegible] के निमित्त [illegible] मार्च, 1988 को संबंधित [illegible] की वास्तविक छात्र संख्या, [illegible] में [illegible] में कार्यरत शिक्षकों/डिमान्स्ट्रेटर्स की संख्या तथा पद के स्थायीकरण के औचित्य के संबंध में संबंधित विषय के समस्त शिक्षकों के साप्ताहिक वर्कलोड का आगणन निर्धारित प्रपत्र "ग" में भेजें। यदि यह सूचना 30 मार्च, 1989 तक स्टाफ स्टेटमेन्ट के साथ प्राप्त नहीं होती है तो सृजित पदों का 30.6.89 से आगे स्थायीकरण करने पर विचार करना सम्भव नहीं होगा। जब तक निदेशालय द्वारा पद स्थायी न कर दिया [illegible] तब तक [illegible] पदधारक को स्थायी न किया जाये।

6. इन पदों पर विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा के नियमों के [illegible] का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही नियुक्ति की जायेगी।

7. इन पदों के पदधारकों के वेतन [illegible] के लिए स्वीकृत धनराशि का [illegible] निम्नलिखित आय व्ययक लेखा शीर्षक के अन्तर्गत किया जायेगा।

लेखा शीर्षक:- "2202-सामान्य-शिक्षा-आयोजनागत-03-विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा-[illegible] और [illegible] कालेजों और संस्थाओं को सहायता-04-स्नातक तथा स्नातकोत्तर महाविद्यालयों को नये संकायों एवं नये विषयों को आरम्भ करने हेतु सहायक अनुदान-14-सहायक अनुदान/अंशदान/राज-[illegible]"

200-अन्य [illegible]- 21-[illegible] महाविद्यालयों में [illegible] [illegible] [illegible] -33-[illegible] नामे डाला जाये।"

भवदीय

(हस्ताक्षर)

(डा० वीरेन्द्र सिन्हा)
सहायक उप शिक्षा निदेशक,
कृते शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) उ०प्र०।

पृष्ठांकन संख्या डिग्री अर्थ/ /- उसी तिथि को।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नांकित को प्रेषित:-

1. कुलसचिव, इलाहाबाद.......... विश्वविद्यालय, इलाहाबाद.....
2. जिला विद्यालय निरीक्षक... इलाहाबाद........को इस अभ्युक्ति के साथ कि उक्त पद/पदों पर नियमानुसार नियुक्त शिक्षकों को वेतन [illegible] कराने से पूर्व उनकी नियुक्ति के निमित्त विश्वविद्यालय की सम्बद्धता [illegible] द्वारा प्रदत्त अनुमोदन आदेश तथा कार्यभार ग्रहण करने संबंधी प्रमाण पत्र का परीक्षण कर लिया जाय।
3. क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक ..इलाहाबाद..,
4. [illegible] सहायक अर्थ [illegible]।
5. सचिव, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, 9/18 न्याय मार्ग, इलाहाबाद।
6. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर/लखनऊ।

(डा० वीरेन्द्र सिन्हा)
सहायक उप शिक्षा निदेशक,
कृते शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) उ०प्र०।

हस्तोत/-

पूरा करने का दायित्व प्रबन्धतंत्र का होगा और विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 60 §ड. §§2§ के अन्तर्गत उसकी वसूली की जा सकेगी।

4. उक्त पद इस आधार पर सृजित किये गये हैं कि जिन विषयों से वे संबंधित है उनमें स्वीकृति की अवधि के लिए विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त हो चुकी है अथवा सम्बद्धता विस्तारण/स्थायीकरण के लिए विश्वविद्यालय द्वारा माननीय कुलाधिपति एवं शासन को संस्तुति भेजी जा चुकी है। अस्थायी सम्बद्धता प्राप्त विषयों में कृपया नियुक्ति परिवीक्षण पर उस समय तक न की जाय जब तक कि सम्बद्धता स्थायी न हो जाये।

5. फिलहाल इन पदों की स्वीकृति 30 जून, 1989 तक के लिए प्रदान की जाती है। 30 जून, 1989 से आगे की अवधि के लिए इनके सततीकरण के निमित्त आप कृपया 31 मार्च, 1989 की संबंधित विषय की वास्तविक छात्र संख्या विषय में वास्तव में कार्यरत शिक्षकों/डिमान्स्ट्रेटर्स की संख्या तथा पद के सततीकरण के औचित्य के संबंध में संबंधित विषय के समस्त शिक्षकों के साप्ताहिक वर्क लोड का आगणन निर्धारित प्रपत्र "स" में भेजें। यदि यह सूचना 30 मई 1989 तक स्टाफ स्टेटमेन्ट के साथ प्राप्त नहीं होती है तो सृजित पदों का 30 जून, 89 से आगे सततीकरण करने का निर्णय महाविद्यालय को 30.6.89 तक उपलब्ध न हो सकेगा। इस पद के प्रति कार्यरत शिक्षक का वेतन 30 जून 89 के उपरान्त शैक्षिक कार्यभार होने के बावजूद तब तक अनुमन्य नहीं होगा जब तक कि पद का सततीकरण नहीं हो जायेगा। यदि पद के सततीकरण का औचित्य नहीं पाया जाता है और महाविद्यालय शिक्षक को कार्यरत बनाये रखता है तो वेतन भुगतान का उत्तर-दायित्व प्रबन्धतंत्र का होगा।

6. जब तक निदेशालय द्वारा पद स्थायी न कर दिया जाय तब तक कृपया पदधारक को स्थायी न किया जाये।

7. इन पदों के प्रति आयोग की संस्तुति पर नियमानुसार नियुक्तियां की जायेगी, जिनके संदर्भ में कुलपति के अनुमोदन की आवश्यकता न होगी। आयोग की संस्तुति प्राप्त न होने की दशा में आयोग अधिनियम की धारा 16 के प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन करते हुए यदि आवश्यक हुआ तो तदर्थ नियुक्तियां की जा सकेगी परन्तु ऐसी तदर्थ नियुक्तियां संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा प्रदत्त पूर्वानुमोदन प्रदान

...3

किये जाने के उपरान्त की जाने पर ही वेतन संदाय हेतु मान्य होगी।

शासन की राजाज्ञा संख्या 3323/15-84§11§-3§59§/80 दिनांक 30 नवम्बर, 1984 में किये गये प्राविधान के अनुसार शासन द्वारा जो संस्थायें अल्पसंख्यक संस्था घोषित की गयी है ऐसी अल्पसंख्यक संस्थाओं के संबंध में नियुक्तियां विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31 के अनुसार की जायेगी और इन नियुक्तियों हेतु आयोग अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय एवं आयोग के अनुमोदनोपरान्त ही वेतन संदाय हेतु मान्य होगी।

8. इन पदों के पदधारकों के वेतन संदाय के लिए स्वीकृत धनराशि का विकलन निम्नलिखित आय-व्ययक लेखा शीर्षक के अन्तर्गत किया जायेगा:

त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम: "2202-सामान्य शिक्षा-आयोजनागत-03-विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा-800-अन्य व्यय-21-प्रदेश के महाविद्यालयों में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम लागू किया जाना-33-अन्य व्यय"

पर्वतीय क्षेत्र: "2551-पहाड़ी क्षेत्र-60-अन्य पहाड़ी क्षेत्र आयोजनागत-104-विश्वविद्यालय तथा अन्य उच्चतर शिक्षा-03-अशासकीय महाविद्यालयों को सहायता सहायक अनुदान-02-सहायता प्राप्त महाविद्यालयों को नये संकाय/विषय प्रारम्भ करने हेतु सहायता-14-सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता

मैदानी क्षेत्र: "2202-सामान्य-शिक्षा-आयोजनागत-03-विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा-104-गैर सरकारी कालेजों और संस्थाओं को सहायता-04-स्नातक तथा स्नातकोत्तर महाविद्यालयों को नये संकायों एवं नये विषयों को आरम्भ करने हेतु सहायक अनुदान-14-सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता"

भवदीय

§डा॰ सुधीर चन्द्र§

सहायक उप शिक्षा निदेशक§ उ०§
कृते शिक्षा निदेशक§उ०प्र०§उ०प्र०।

....4

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक (उ० शि०) उ०प्र०,
शिक्षा डिग्री अर्थ-1 अनुभाग,
इलाहाबाद।

सेवा में,

प्रबन्धक/सचिव/प्राधिकृत नियंत्रक,
एस०एस०खन्ना गर्ल्स डिग्री कालेज महाविद्यालय,
इलाहाबाद।..........

पत्रांक डिग्री अर्थ-1/ /88 दिनांक 16-2-89

विषय:- विषयों के अतिरिक्त पदों के सृजन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्रांक 1160/1/88-89 दिनांक 12.5.88 द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र पर विचारोपरान्त आपके महाविद्यालय के लिए शिक्षकों के निम्नांकित पदों के सृजन की स्वीकृति उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 60-क(6)(ख) के अन्तर्गत प्रदान की जाती है:-

क्र०सं०	प्रवक्ता पद के विषय का नाम	पद संख्या	वेतनक्रम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1.	अंग्रेजी	एक पद	2200-4000	
2.		फाउण्डेशन कोर्स का अध्यापन विद्यमान शिक्षकों से जिनके		
3.		पास 24 पीरियड से कम का कार्यभार है से कराया जाय।		
4.		शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का पद सृजन सम्भव नहीं है।		
5.				
6.				
7.				

2. निम्नांकित नये पदों के सृजन की मांग को वेतन संदाय हेतु स्वीकार किया जाना सम्भव नहीं है।

3. इन पदों का सृजन महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं तथा घोषणाओं की सत्यता पर विश्वास करते हुए किया जा रहा है। यदि भविष्य में उक्त सूचनाओं या घोषणाओं को सत्य नहीं पाया गया तो इन पदों पर वेतन संदाय के परिणाम स्वरूप शासन को जो अतिरिक्त व्ययभार वहन करना पड़ेगा उनको

....2

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक (उ० शि०) उ० प्र०
शिक्षा डिग्री अर्थ– १ अनुभाग,
इलाहाबाद।

सेवा में,

प्रबन्धक / सचिव / प्राधिकृत नियंत्रक,
.... महाविद्यालय,
[illegible] महिला ....
इलाहाबाद।

पत्रांक डिग्री अर्थ—१/.......... दि० 2-4-91

विषय :—विषयों के अतिरिक्त पदों के सृजन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्रांक 1217/4706/1/90-91 दिनांक 18-3-91 द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र पर विचारोपरान्त आपके महाविद्यालय के लिए शिक्षकों के निम्नांकित पदों के सृजन की स्वीकृति उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ की धारा ६०—क (६) (ख) के अन्तर्गत प्रदान की जाती है :

क्र० सं०	पदनाम	पद संख्या	वेतन क्रम	अन्य विवरण
१	२	३	४	५
१.	प्रवक्ता दर्शन शास्त्र	एक पद	2200-4000	
२.	प्रवक्ता संगीत गायन।	एक पद	2200-4000	
३.				
४.				
५.				
६.				
७.				
८.				
९.				
१०.				

पत्रांक डिग्री अर्थ V 10714-19/87 दिनांक 7-11-87 द्वारा सृजित अंशकालिक प्रवक्ता दर्शन शास्त्र एवं संगीत गायन में एक-एक पदों का आदेशानुसार पूर्णकालिक पद में परिवर्तित किया जाता है।

२. उपरोक्त के अतिरिक्त पद सृजन की अन्य माँग को वेतन संदाय हेतु स्वीकार किया जाना सम्भव नहीं है :—

३. इन पदों का सृजन महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं तथा घोषणाओं की सत्यता पर विश्वास करते हुए किया जा रहा है। यदि भविष्य में उक्त सूचनाओं या घोषणाओं को सत्य नहीं पाया गया तो इन पदों पर वेतन संदाय के परिणाम स्वरूप शासन को जो अतिरिक्त व्ययभार वहन करना पड़ेगा उनको पूरा करने का दायित्व प्रबन्धतन्त्र होगा और विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ की धारा ६० ड़) (२) के अन्तर्गत उसकी वसूली की जा सकेगी।

४. उक्त पद इस आधार पर सृजित किये गये हैं कि जिन विषयों से वे सम्बन्धित हैं उनमें स्वीकृति की अवधि के लिए विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त हो चुकी है अथवा सम्बद्धता विस्तारण / स्थायीकरण के लिये विश्वविद्यालय द्वारा माननीय कुलाधिपति एवं शासन को संस्तुति भेजी जा चुकी है। अस्थायी सम्बद्धता प्राप्त विषयों में कृपया नियुक्ति परिवीक्षण पर उस समय तक न की जाय जब तक कि सम्बद्धता स्थायी न हो जाये :

५ फिलहाल इन पदों को स्वीकृति ३० जून, १९९१ तक के लिए प्रदान की जाती है। ३० जून, १९९१ से आगे की अवधि के लिये इनके सततीकरण के निमित्त आप कृपया ३१ मार्च, १९९१ को सम्बन्धित विषय की वास्तविक छात्र संख्या, विषय में वास्तव में कार्यरत शिक्षकों / डिमान्स्ट्रेटर्स की संख्या तथा पद के सततीकरण के औचित्य के सम्बन्ध में सम्बन्धित विषय के समस्त शिक्षकों के साप्ताहिक वर्क लोड का आगणन निर्धारित प्रपत्र "स" में भेजें। यदि यह सूचना ३१ मई, १९९१ तक स्टाफ स्टेटमेन्ट के साथ प्राप्त नहीं होती है तो सृजित पदों का ३० जून, ९१ से आगे सततीकरण करने का निर्णय महाविद्यालय को ३०-६-९१ तक उपलब्ध न हो सकेगा। इस पद के प्रति कार्यरत शिक्षक का वेतन ३० जून ९१ के उपरान्त शैक्षिक कार्यभार होने के बावजूद तब तक अनुमन्य नहीं होगा जब तक कि पद का सततीकरण नहीं हो जायेगा। यदि पद के सततीकरण का औचित्य नहीं पाया जाता है और महाविद्यालय शिक्षक को कार्यरत बनाये रखता है तो वेतन भुगतान का उत्तरदायित्व प्रबन्धतन्त्र का होगा।

६. जब तक निदेशालय द्वारा पद स्थायी न कर दिया जाय तब तक कृपया पद धारक को स्थायी न किया जावे।

(कृपया पृष्ठ उलटिये)

७. इन पदों के प्रति आयोग की संस्तुति पर नियमानुसार नियुक्तियां की जायेगी, जिनके संदर्भ में कुलपति के अनुमोदन की आवश्यकता न होगी। आयोग की संस्तुति प्राप्त न होने की दशा में आयोग अधिनियम की धारा १६ के प्रावधानों से अन्तर्गत विदेशालय द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन करते हुए यदि आवश्यक हुआ तो तदर्थ नियुक्तियां की जा सकेंगी परन्तु ऐसो तदर्थ नियुक्तियां सम्बन्धित विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा प्रदत्त पूर्वानुमोदन प्रदान की संस्तुति प्राप्त न होने की दशा में आयोग अधिनियम की धारा १६ के प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन करते हुए यदि आवश्यक हुआ तो नियुक्तियां की जा सकेंगी परन्तु ऐसी तदर्थ नियुक्तियां सम्बन्धित विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा प्रदत्त पूर्वानुमोदन प्रदान किये जाने के उपरान्त की जाने पर ही वेतन संदाय हेतु मान्य होंगी।

शासन की राजाज्ञा संख्या ३३२३/१५-८४ (११)-३-(५६)/८० दिनांक १० नवम्बर १९८४ में किये गये प्राविधान के अनुसार शासन द्वारा जो संस्थायें अल्पसंख्यक संस्था घोषित की गयी है ऐसी अल्पसंख्यक संस्थाओं के सम्बन्ध में नियुक्तियां विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ की धारा ३१ के अनुसार की जायेगी और इन नियुक्तियों हेतु आयोग अधिनियम की धारा १४ के अन्तर्गत विश्वविद्यालय एवं आयोग के अनुमोदनोपरान्त ही वेतन संदाय हेतु मान्य होगी।

८. इन पदों के पदधारकों के वेतन संदाय के लिये स्वीकृत धनराशि का विकलन निम्नलिखित आय व्ययक शीर्षक अध्ययन के लिए अन्तर्गत किया जायेगा :—

(क) २२०२—सामान्य शिक्षा—आयोजनागत—०३—विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा—१०४—गैर सरकारी कालेजों एवम् संस्थाओं की सहायता—३५—त्रिवर्षीय पाठ्क्रम के अन्तर्गत महाविद्यालयों के लिए प्रयोग शालाओं एवम् शिक्षण कक्षाओं की व्यवस्था हेतु अनुदान— १४ सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता

(ख) २२०२—सामान्य शिक्षा—आयोजनागत—०३—विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा—१०४—गैर सरकारी कालेजों और संस्थाओं की सहायता—३१—कतिपय गैर सरकारी महाविद्यालयों को पुर्ननिर्माण नवीन विषय तथा अन्य प्रयोजनों हेतु अनुदान—१४ सहायक / अनुदान / राज सहायता

(ग) २५५१—पहाड़ी क्षेत्र—६०—अन्य पहाड़ी क्षेत्र आयोजनागत—१०४ विश्वविद्यालय एवम अन्य उच्चतर शिक्षा —शासकीय महाविद्यालयों को सहायक अनुदान—०२—अशासकीय महाविद्यालयों को नये सकाय/विषय प्रारम्भ करने —१४—सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता

भवदीय,

[redacted])
सहायक शिक्षा निदेशक (शि०)
कृते—शिक्षा निदेशक (उ० शि०) उ० प्र०
इलाहाबाद

पृष्ठांकन संख्या डिग्री अर्थ—१/........121-27........./- उसी तिथि को।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नांकित को प्रेषित :—

१. सचिव उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ९/१८ न्याय मार्ग, इलाहाबाद।
२. कुलसचिव [redacted] विश्वविद्यालय [redacted]।
३. जिला विद्यालय निरीक्षक [redacted]।
४. मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक [redacted]।
५. बजट सहायक।
६. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी गोरखपुर / लखनऊ।
७. प्राचार्य / प्राचार्या सम्बन्धित महाविद्यालय।

ह० 3/4/91
ह० (अज्ञात मिश्र)
सहायक उ० शिक्षा निदेशक (शि०)
कृते—शिक्षा निदेशक (उ० शि०) उ० प्र०
इलाहाबाद

प्रबन्धक सजीवन को सूचनार्थ एवं आदेशार्थ अग्रसारित — आशारेख 5.4.91

शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) उ0प्र0,
शिक्षा डिग्री अर्थ-1 अनुभाग,
इलाहाबाद।

सेवा में,

प्रबन्धक/सचिव/प्राचार्य,

एस0एस0खन्ना महिला महाविद्यालय,
इलाहाबाद।

पत्रांक: डिग्री अर्थ-1/ 3677 /97-98 दिनांक 31-5- 1997

विषय:- प्रवक्ता पद का सृजन।

महोदय,

महाविद्यालय द्वारा पद सृजन हेतु प्रेषित प्रस्तावों पर विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-378/15-19-96-424/96, दिनांक 24 अक्टूबर, 1996 के आलोक में निम्नलिखित प्रवक्ता पदों के सृजन की स्वीकृति उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा-60(क)/(6)/(ख) के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

क्र0सं0	पदनाम	पद संख्या	वेतनक्रम	अन्य विवरण
1.	प्रवक्ता-चित्रकला	एक पद	2200-4000	

1. उक्त पद दि0 1.4.97 या कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से, जो भी बाद में हो से सृजित किये जाते हैं।

2. इन पदों का सृजन महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं तथा घोषणाओं की सत्यता पर विश्वास करते हुये किया जा रहा है यदि भविष्य में उक्त सूचनाओं तथा घोषणाओं को सत्य नहीं पाया गया तो इन पदों पर वेतन संदाय के परिणाम स्वरूप शासन को जो अतिरिक्त व्यय भार वहन करना पड़ेगा उनको पूरा करने का दायित्व प्रबन्धतंत्र का होगा और विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-60(ङ)/(2) के अन्तर्गत उसकी वसूली की जा सकेगी।

3. उक्त पद इस आधार पर सृजित किये गये हैं कि जिन विषयों से संबंधित हैं उनमें स्वीकृति की अवधि के लिये विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त हो चुकी है अथवा सम्बद्धता विस्तारण स्थायीकरण के लिये विश्वविद्यालय द्वारा

..2/

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक(उ0शि0)उत्तर प्रदेश
शिक्षा डिग्री अर्थ-1 अनुभाग
इलाहाबाद

सेवा में,

प्रबन्धक/सचिव/प्राचार्य
एस0एस0खन्ना गर्ल्स डिग्री कालेज,
इलाहाबाद

पत्रांक: डिग्री अर्थ-1/ 5777 /98-99 दिनांक: 27-6-, 1998

विषय: प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय में शिक्षकों के अस्थाई पदों का सृजन ।

महोदय,

महाविद्यालय द्वारा पद सृजन हेतु प्रेषित प्रस्तावों पर विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-29 एम0पी0/सत्तर-6/98-36/97 दिनांक 19 मई, 1998 के आलोक में निम्नलिखित प्रवक्ता पदों के सृजन को स्वीकृति उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविधालय अधिनियम 1973 के अध्याय-11(क) की धारा-60(क)/(6)/(ख) के अन्तर्गत प्रदान की जाती है ।

क्रमांक	पदनाम	पद संख्या	वेतनक्रम	अन्यविवरण
1	2	3	4	5
1.	प्रवक्ता संगीत गायन	एक	2200-4000	
2.	प्रवक्ता जन्तु विज्ञान	एक	2200-4000	
3.	प्रवक्ता वनस्पति वि0	एक	2200-4000	
4.	प्रवक्ता रसायन वि0	एक	2200-4000	

1- उक्त पद निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन दिनांक 30 जून, 1999 तक के लिए सृजित किये जाते हैं ।

2- इन पदों का सृजन महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं तथा घोषणाओं को सत्यता पर विश्वास करते हुये किया जा रहा है । यदि भ में उक्त सूचनाओं तथा घोषणाओं को सत्य नहीं पाया गया है तो इन पदों वेतन संदाय के परिणामस्वरूप शासन को जो अतिरिक्त व्ययभार वहन करना पड़ेगा उनको पूरा करने का दायित्व प्रबंधतंत्र का होगा और विश्वविद्याल अधिनियम 1973 की धारा-60(इ)/(2) के अन्तर्गत उसकी वसूली की जा

3- उक्त पद इस आधार पर सृजित किये गये हैं कि जिन विषयों सम्बन्धित हैं उनमें स्वीकृति की अवधि के लिये विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त हो चुका है अथवा सम्बद्धता विस्तारण स्थायीकरण के लिये विश्ववि द्वारा द्वारा माननीय कुलाधिपति एवं शासन की संस्तुति भेजी जा चुकी है । अस्थायी सम्बद्धता प्राप्त विषयों में कृपया नियुक्ति परीवीक्षण पर उस समय तक न की जाय जब तक कि सम्बद्धता स्थायी न हो जाय । अस्थ सम्बद्धता के अधीन विनियमित प्रवक्ताओं का वेतन संदाय निदेशालय के आदेश प्राप्त होने के उपरान्त ही कराया जाना सुनिश्चित किया जाय ।

-----/3

-----4-----

4- इन पदों की स्वीकृति 30 जून 99 तक के लिए प्रदान की जाती है। 30 जून, 99 से आगे की अवधि के लिए इनके सततीकरण के निमित्त आप कृपया 31 मार्च, 99 को संबंधित विषय की वास्तविक छात्र संख्या; विषय में वास्तव में कार्यरत शिक्षकों की संख्या तथा पद के सततीकरण के औचित्य के संबंध में संबंधित विषय के समस्त शिक्षकों के साप्ताहिक वर्क लोड का आगणन निर्धारित प्रपत्र "स" में भेजें।

5- जब तक निदेशालय द्वारा स्थायी न कर दिया जाय तब तक कृपया पद धारक को स्थायी न किया जाये।

6- स्तम्भ-1 द्वारा सृजित प्रवक्ता पद के प्रति उत्तर-प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980 की अध्यादेश संख्या-43 वर्ष 1991 दिनांक 22 नवम्बर 1991 द्वारा प्रतिस्थापित धारा 12, 13, 14 में निहित प्राविधानों के अनुसार शिक्षा निदेशक द्वारा संस्तुत अभ्यर्थियों की ही नियुक्ति की जायेगी।

7- शासन द्वारा जो संस्थायें अल्पसंख्यक संस्था घोषित की गयी है ऐसी अल्पसंख्यक संस्थाओं के संबंध में नियुक्तियां उ0प्र0 उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम -1980 की धारा-26 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय एवं आयोग के अनुमोदनोपरान्त ही वेतन संदाय हेतु मान्य होगी इन पद धारकों के वेतन संदाय के लिए स्वीकृत धनराशि का व्यय आयोजनागत पक्ष से स्वीकृत होने वाले अनुदान से वहन किया जायेगा।

भवदीय,

डा0 (रण विजय सिंह)
सहायक निदेशक (अर्थ)
कृते-शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) उ0प्र0,
इलाहाबाद।

पृ0सं0 डिग्री अर्थ-1/ /उसी तिथि को।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- विशेष कार्याधिकारी उ0प्र0 शासन उच्च शिक्षा अनुभाग-6 लखनऊ।
2- सचिव, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग 9/18 न्याय मार्ग, इलाहाबाद।
3- कुल सचिव ·· इलाहाबाद वि0वि0 इलाहाबाद
4- जिला विद्यालय निरीक्षक · इलाहाबाद ·····
5- डिग्री बजट अनुभाग
6- क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी ····· इलाहाबाद·
7- विविध सहायक ········

डा0 (रण विजय सिंह)
सहायक निदेशक (अर्थ)
कृते-शिक्षा निदेशक (उ0शि0) उ0प्र0
इलाहाबाद।

FD Diary No. 9968
Dated: 17.02.2015

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
BAHADURSHAH ZAGAR MARG
NEW DELHI-110002

2015

19th Febru...

No.F.35-17/2008 (CU-OBC)

20 FEB 2015

The Under Secretary (FD-III)
University Grants Commission
Bahadur Shah Zafar Marg
New Delhi-110 002

Subject: Release of Grants-in-aid to University of Allahabad, Allahabad for its constituent Colleges for the year 2014-2015 under General Development Grant for implementation of OBC Reservation as per the Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Act, 2006.

Sir,

I am directed to convey the sanction of the University Grants Commission for payment of **Rs.25,16,94,000/- (Rupees Twenty Five Crore Sixteen Lakhs Ninety Four Thousand Only)** as 1st installment towards infrastructure development for implementation of OBC Reservation as per the Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Act, 2006 to **University of Allahabad, Allahabad** for its constituent Colleges, as per detail given below:-

(Rs. in lakhs)

Allocation for constituent Colleges	Name of the Item	Head of Account	Grant now being sanctioned	Grant already sanctioned	Total Grant Released so far
5033.88	Grants of Capital Assets (Non-recurring) (35)	General I(A) 2202.03.102.10.02.35	1950.63	Nil	2516.94
		SC Component I(B) 2202.03.789.03.02.35	377.54		
		ST Component I(C) 2202.03.796.03.02.35	188.77		
5033.88		Total	2516.94		2516.94

SL No.	Name of the College	Allocation for Infrastructure development (Rs. in lakhs)	Grant now being sanctioned (Rs. in lakhs)	Grant already sanctioned	Total grant sanctioned so far (Rs. in lakhs)	Total Teaching position approved by UGC at the level of Asst. Professor
1	2	3	4	5	6	7
1	Allahabad Degree College	1380.60	690.30	Nil	690.30	70
2	Arya Kanya Girls Degree College	253.30	126.65		126.65	17
3	Chaudhary Mahadev Prasad Degree College	1967.40	983.70		983.70	85
4	Iswar Saran Degree College	403.20	201.60		201.60	22
5	Jagat Taran Girls Degree College	271.00	135.50		135.50	17
6	KP Training College	42.20	21.10		21.10	2
7	Rajarshi Tandon Girls Degree College	62.00	31.00		31.00	7
8	SS Khanna Girls Degree College	377.40	188.70		188.70	19
9	SPM Degree College	276.78	138.39		138.39	20
	Total	5033.88	2516.94		2516.94	259

SUSHMA RATHORE

Note: The expenditure on salary expenditure of faculty positions may be booked under Non-Plan.

Sadanlal Sanwaldas Khanna Degree College, Allahabad

(A Constituent College of the University of Allahabad)

Accredited 'A' grade by NAAC

Ref. .....

Date 14.12.2019

It is certified that the following are the Sanctioned Posts under Teaching category in Sadanlal Sanwaldas Khanna Mahila Mahavidyalaya:

Year	No. of Teaching Posts sanctioned by University/Government	No. of Teaching Posts sanctioned by Management
2014-15	27	35
2015-16	46	35
2016-17	46	35
2017-18	46	24
2018-19	46	24

14.12.2019

(Prof. Lalima Singh)
Principal
S.S.K.G.D.C

Principal
S. S. Khanna Girls' Degree College
Allahabad

14.12.19

(Dr. Asha Seth)
Chairperson
Governing Body, S.S.K.G.D.C

Chair Person
Governing Body
S. S. K. (A. U.)

179-D. Attarsuiya, Allahabad - 211003
E-mail : khanna_girls_dc@yahoo.co.in
Website : www.sskhannagirlsdc.com

(0532) 2659124
2451692
2451791

Scanned by CamScanner